न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

सेशन केस संख्या–42/2019

राम सजीवन बनाम करिया आदि

दिनांक 2.09.2021

पत्रावली पेश हुयी। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी बहस पर को सुना गया ।

परिवादी मुकदमा राम सजीवन द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा – 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में मय शपथ पत्र विपक्षीगण करिया व अन्य के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने एवं विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय के आदेश दिनांक 20.02.2019 के द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया।

संक्षेप में परिवादिनी का परिवादपत्र के कथन इस प्रकार है प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है। दिनांक 19–11–2018 को बलकट शुदा आराजी में पलेवा कर रहाथा तभी अपने पुत्र सचिन को बेटे लाल सचान के खेत में बोई लाही को देखने हेतु भेजा तो विपक्षीगण करिया व कैलाश अपने नलकूप की कोठरी के अंदर मुर्गा आदि खा रहे थे, उनकी बकरियाँ उसके लाळी वाले खेत को चर रही थी। घटना समय करीब 5.00 बजे शाम दिनाँक 19–11–2018 को बकरियों को खे से बाहर करने के बाद उक्त करिया व कैलाश के नलकूप की कोठरी के अंदर गया और कहा कि चाचा बकरियों से लाही वाले खेत को चरा कर तहस नहस क्यो करवा रहे हो , गरीब आदमी है। इतने में कैलाश ने कहा कि चमरा तेरी हिम्मत कैसे हुई कोठरी के अंदर घुस करके उलाहाना देने की। अपने लड़के करिया से कहा कि इस साले चमरा को ठीक करदों , नही तो आइन्दा दिमाग खराब यहो जावेगा। उक्त करिया ने कोठरी के अंदर घसीटकर अपमानित करने के उददेश्य से उसके लड़के सचिन को गिरा करके दोनों ने लात घूसों व थप्प्ड़ों , जूतों व डंडों से मारा पीटा ओर गिरा करके घृणाजनक पदार्थ पीने व खाने के लिए मजबूर करने लगे तभी अपने पुत्र सचिन की रोने व चिल्लाने की आवास सुनकर पलेवा वाले खेत से दौड़कर घटना स्थल की ओर आया , तो उसके पुत्र को करिया कैलाश आदि लोग मार पीट एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मां बहन बकते हुए जान माल की धमकी देते हुए भाग खड़े हुए। घटना को अरविन्द एवं अनुरूद्ध ने देखा। प्रार्थिनी ने घटना की सूचना पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी तब न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया जिसे परिवाद के रूप मे दर्ज किया गया।

परिवादिनी मुकदमा ने स्वयं को धारा –200 एवं धारा–202 दण्ड प्रक्रिया

संहिता में परिवादिनी साक्षी संख्या–1 अनुरूद्ध कमार एवं साक्षी संख्या–2 सचिन को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है।

परिवादी मुकदमा ने अपने बयान धारा –200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कथन किया है कि घटना दिनांक 19.11.2018 की है। मैं अपने बलकट के खेत में पानी लगा रहा था। तभी मैने अपने बेटे सचिन को लाही की फसल देखने के लिए भेजा। लाही के खेत में बकरिया चर रही थी। बकरियाँ कैलाश की थी। तब मेरे लडक़्के ने बकरिया होककर कैलाश के नलकूप पर गया तो वहां कैलाश के साथ करिया ीाी था जो वहीं नलकूप में बनी कोठरी में शराब पी रहे थे और मुर्गा खा रहे घ्थें तब मेरे लड़के ने कैलाश से कहा कि तुम्हारी बकरिया मेरे खेत में जाकर चर रही थी। तो उन्होने कहा कि साले चमरा तेरी हिम्मत कैसे हुयी यहां आकर उलाहना देने की और मेरे लड़के सचिन को मारा पीटा तब मेरा लड़का चिल्लाया तो अनुरूद्ध व अरविन्द आ गये और मैं भी डरकर वहां पहुंच गया था तब लोगों ने बचाया। उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन किया है।

परिवादी साक्षी संख्या–2 अनुरूद्ध एवं परिवादी साक्षी संख्या –२ सचिन को साक्ष्य 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता कराया गया है। उपरोक्त दोनों साक्षीगण ने परिवादी मुकदमा के कथनों का समर्थन किया है।

परिवादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा पत्रावली पर उलपब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

परिवादिनी मुकदमा ने पत्रावली पर जो मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत किया है

परिवादी मुकदमा रामसजीव ने बयान धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत किया गया है तथा परिवादी साक्षी संख्या–1 अनुरूद्ध एवं साक्षी संख्या–2 सचिन को धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत किया गया है। परिवादी साक्षी संख्या–१ अनरूद्ध कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना बताया गया है तथा परिवादी साक्षी संख्या –२ सचिन वादी मुकदमा का पुत्र /पीड़ित व्यक्ति है। तथा परिवादी साक्षी संख्या –1 एवं परिवारी साक्षी संख्या –2 ने अपने अपने साक्ष्य में परिवादपत्र के कथनों एवं परिवादी मुकदमा के कथनों का समर्थन किया है। इस प्रकार परिवादी मुकदमा द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण कैलाश एवं करिया के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा323/34,504,506 भा.दं.सं. एवं धारा–3(1)(द) एव 3(1)(ध),एस सी एस टी एक्ट का अपराध गठित है जिसमें अभियुक्तगण तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण करिया एवं कौलाश को धारा–323/34 504, 506 भा.दं.सं. एवं धारा–3(1)(द) एव 3(1)(ध),एस सी एस टी के अपराध में जरिये समन तलब किया जाता है।परिवादिनी मुकदमा पैरवी एक सप्ताह में करने के पश्चात समन जारी हो। पत्रावली दिनांक 8.10.2021 को हाजिरी मुल्जिमान पेश हो।

दिनांकः 2.09.2021 **(अखिलेश कुमार पाठक)**

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, /
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
रमाबाई नगर(कानपुर देहात)।

UP ID NO 5933

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2021.09.02 17:09:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court